संख्या- 5/2019/ 879 /अडतीस-7-2019-42एनआरईजीए/2007

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल, 2019**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन देय मजदूरी का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- जे-11011/1/2019-मनरेगा(आरई-।।।) दिनांक: 28-03-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए मजदूरी दरों को वित्तीय वर्ष 2019-20 अर्थात दिनांक: 01-04-2019 से रू0 182.00 निर्धारित किया गया है। अत: उक्त के दृष्टिगत तदनुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित मजदूरी की दर दिनांक 01-04-2019 से रू0 182.00 प्रतिदिन निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5/2019/879(1)/अड्तीस-7-2019 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, लोक निर्माण, वन, सिंचाई, राजस्व, कृषि, लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, श्रम, रेशम, मत्स्य एवं नियोजन विभाग।
2- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश ।
6- निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस), उ0प्र0।
7- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उत्तर प्रदेश ।
9- वेब मास्टर/ ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।